


HIGH COURT OF CHHATTISGARH : BILASPUR

ENDORSEMENT

Endt. No. 1018 /Confdl./2019
I-8-2/2002 (Pt. XI)

Bilaspur, dated the 07 / 09 /2019

Copy of letter no. 12023/3/2019-Ad.IV dated 26.08.2019 of the Under Secretary to the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi is enclosed herewith regarding inviting online applications from eligible candidates for filling up 06 posts of Judicial Members and 05 posts of Technical Members in the National Company Law Tribunal (NCLT) for information of the candidates concerned.


7-9-19

(Neelam Chand Sankhla)
Registrar General

Encl: As above

सं.ए-12023/3/2019-प्रशा.IV

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

ए विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 26 अगस्त, 2019

सेवा में,

1. सभी उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रार।
2. सचिव, भारत सरकार, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
3. सभी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के मुख्य सचिव।
4. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण।
5. सचिव, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण।
6. सचिव, सीसीआई
7. सचिव, आईबीबीआई
8. सचिव, एनएफआरए
9. सचिव, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002
10. सचिव, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएआई), सदर स्ट्रीट, कोलकाता
11. सचिव, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय: राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में न्यायिक सदस्य के 06 (छह) पद और तकनीकी सदस्य के 05 (पांच) पदों को भरने के संबंध में - ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने हेतु

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में न्यायिक सदस्यों के 06 (छह) और तकनीकी सदस्यों के 05 (पांच) पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन (<https://apptrbmembermca.gov.in> पोर्टल पर उपलब्ध) आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और इन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

2. चयनित उम्मीदवारों द्वारा पहले से गठित एनसीएलटी न्यायपीठों या रिक्तियों की उपलब्धता/कार्य की अनिवार्यता के अनुसार संपूर्ण भारत में स्थानांतरण के दायित्व सहित चरणबद्ध रीति से देश के विभिन्न भागों में गठित किए जाने वाले एनसीएलटी न्यायपीठों में कार्य करना अपेक्षित होगा।

3. न्यायिक सदस्य की अर्हताएं: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 409(2) के उपबंधों के अनुसार, कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा, यदि, वह :-

(क) उच्च न्यायालय का न्यायधीश हो या रहा हो, या

(ख) कम से कम पांच वर्षों के लिए जिला न्यायधीश हो या रहा हो,

(ग) कम से कम दस वर्षों के लिए किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहें हो।

High Court of Chhattisgarh
BILASPUR
03 SEP 2019
Reg. No...16507...
Recd...
High Court, Bilaspur

स्पष्टीकरण: खंड (ग) के प्रयोजनार्थ, वह अवधि, जिसके दौरान एक व्यक्ति किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा है, की गणना करते समय ऐसी कोई अवधि जिसके दौरान उस व्यक्ति द्वारा किसी न्यायिक कार्यालय में या किसी अधिकरण के किसी सदस्य के कार्यालय में कोई पद या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद धारण किया है, शामिल की जाएगी, जिसमें उस व्यक्ति के अधिवक्ता बनने के पश्चात् विशेष ज्ञान अर्जित करना अपेक्षित होगा।

तकनीकी सदस्य की अर्हताएं: कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 409(3) के उपबंधों के अनुसार, एक व्यक्ति तकनीकी सदस्य की नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि वह -

- (क) कम से कम 15 वर्षों के लिए भारतीय कारपोरेट विधि सेवा या भारतीय विधि सेवा का सदस्य हो और भारत सरकार में सचिव या अपर सचिव के पद पर कार्य किया हो; या
- (ख) कम से कम 15 वर्षों के लिए चार्टर्ड लेखाकार के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या
- (ग) कम से कम 15 वर्षों के लिए लागत लेखाकार के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या
- (घ) कम से कम 15 वर्षों के लिए कंपनी सचिव के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या
- (ङ) एक सिद्ध सक्षम, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और जिसके पास औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक पुनर्गठन, निवेश, लेखांकन में विशेष ज्ञान और कम से कम 15 वर्षों का व्यवसायिक अनुभव रहा हो; या
- (च) व्यक्ति कम से कम पांच वर्षों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी हो या रहा हो।

4. एक ऐसा व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसने आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को **50 (पचास) वर्ष की आयु [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 413(2)]** पूरी न कर ली हो।

5. **नियुक्ति के निबंधन:** सदस्य 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर-15 और इसके अतिरिक्त यथास्वीकृत भत्ते सहित वेतन प्राप्त करेंगे। कार्यरत या सेवानिवृत्त (सरकारी अधिकारी या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, पीठासीन अधिकारी, किसी अधिकरण, अपील अधिकरण या किसी प्राधिकरण का कोई सदस्य या उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश) आवेदक, जो उच्चतम वेतनमान, जिसमें भारत सरकार का उच्चतम वेतनमान भी शामिल है, में कार्यरत हैं या थे, के लिए वेतन संरक्षण उपलब्ध है। दिनांक 12.07.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.632(अ) द्वारा यथासंशोधित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (सभापति और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2015 द्वारा वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का नियंत्रण किया जाएगा। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर इन नियमों की प्रति उपलब्ध है। चयनित व्यक्ति, यदि पहले से ही सरकारी सेवा में हो तो वह, इस कार्यालय में कार्य करते हुए एक वर्ष की अवधि तक अपने मूल संवर्ग या मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो में अपना दावा रख सकता है।

6. प्रत्येक सदस्य द्वारा उनके कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में पदधारण किया जाएगा, परंतु वह अन्य पांच वर्षों की अवधि के लिए पुनः नियुक्ति का भी पात्र होगा। यद्यपि इस नियुक्ति की अवधि पैंसठ वर्ष की अधिकतम आयु के अध्याधीन है।

7. चयनित व्यक्तियों द्वारा ज्वाइनिंग से पूर्व चिकित्सा स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना अपेक्षित है।
8. न्यायलय/सरकारी सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अन्य संगठनों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख के पंद्रह दिनों के भीतर उचित माध्यम से अद्योषित किए जाएंगे। अद्योषण प्राधिकारी (ऑनलाइन आवेदन के अनुलग्नक-1 में दिए प्रारूप में) यह भी प्रमाणित करेंगे कि आवेदन में की गई प्रविष्टियों का अभिलेखों से सत्यापन किया गया है और उन्हें सही पाया गया है, और यह भी कि आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक, सतर्कता कार्यवाहियां न तो लंबित हैं और न ही विचाराधीन हैं और यह कि पिछले दस वर्षों के दौरान उस अधिकारी पर किसी प्रकार की बड़ी या छोटी शास्तियां नहीं लगाई गई हैं। अद्योषण प्राधिकारी आवेदकों के पिछले पांच वर्षों के अप-टू-डेट गोपनीय रिपोर्ट डोजियर संलग्न करेंगे।
9. केवल चुनिंदा उम्मीदवारों को ही वैयक्तिक चर्चा/साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।
10. इच्छुक व्यक्तियों को 29 अगस्त, 2019 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से (<https://aptrbmembermca.gov.in> पोर्टल देखने की सलाह दी जाती है) ऑनलाइन आवेदन दायर करने के विस्तृत निर्देश पोर्टल ("ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्देश" शीर्षक के अधीन) पर उपलब्ध है। आवेदन दायर करते समय सभी अपेक्षित एवं संगत दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर, 2019 अपराह्न 05.00 बजे है।
11. विधिवत् रूप से पूर्ण और अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति सहित हस्ताक्षरित, और उचित माध्यम से, जहां कहीं भी लागू हो, आवेदन को ऑनलाइन पोर्टल पर अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के पश्चात् आवेदन का प्रिंटआउट 24 अक्टूबर, 2019 अपराह्न 05.00 बजे तक श्री रियाजुल हक, अवर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कमरा संख्या 526, ए विंग, पांचवां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001 के पास पहुंच जाना चाहिए।

भवदीय,

(रियाजुल हक)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष संख्या: 23381349

प्रतिलिपि:

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय मुख्यालय, नई दिल्ली के सभी अधिकारी।
2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, एमसीए को पोर्टल पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध सहित
3. तकनीकी निदेशक एनआईसी, डीओपीटी को डीओपीटी वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
3. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को मंत्रालय की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

(नियोक्ता कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि (आवेदन संख्या) द्वारा प्रस्तुत विशिष्टियां और सही है और वह रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते/रखती हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:-

- (i) श्री/श्रीमतीके विरुद्ध किसी प्रकार की सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।
- (ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।
- (iii) उनके पांच वर्षों की सीआर/एपीएआर डोजियर मूल रूप में/भारत सरकार के अवर सचिव या उससे ऊपर के के स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित एसीआर/एपीएआर की फोटो प्रतियां, संलग्न हैं।
- (iv) "पिछले दस वर्षों के दौरान उन पर किसी प्रकार की बड़ी या छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है।"
- (v) पिछले दस वर्षों को दौरान उन पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्तियों की सूची संलग्न है।

हस्ताक्षर:

नाम एवं पदनाम:

दूरभाष संख्या:

कार्यालय मुहर

स्थान:

तारीख:

अनुलग्नकों की सूची

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(जो लागू न हो उसे काट दें)

No.A-12023/3/2019-Ad.IV
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

'A' Wing, 5th floor, Shastri Bhawan,
Dr. R.P. Road, New Delhi-110001
Dated: 26th August, 2019.

To,

1. Registrars General of All High Courts.
2. Secretaries to Government of India, All Ministries/Departments of the Government of India.
3. All Chief Secretaries to the State Government/Union Territories.
4. Registrar, National Company Law Appellate Tribunal.
5. Secretary, National Company Law Tribunal.
6. Secretary, CCI.
7. Secretary, IBBI.
8. Secretary, NFRA.
9. Secretary, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), I.P. Estate, New Delhi-110002.
10. Secretary, Institute of Cost Accountants of India (ICoAI), Sudder Street, Kolkata.
11. Secretary, Institute of Company Secretaries of India (ICSI), Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003

Sub: Filling up of 06 (six) posts of Judicial Member and 05 (five) posts of Technical Members in the National Company Law Tribunal (NCLT) - inviting online applications for.

Sir,

I am directed to state that online applications (available on portal <https://apptbmembermca.gov.in>) are invited for the 06 (six) post of Judicial Members and 05 (five) posts of Technical Members, National Company Law Tribunal (NCLT) constituted under Section 408 of the Companies Act, 2013. The number of vacancies are tentative and may decrease or increase without prior notice.

2. The selected candidates will be required to serve at any of the already constituted NCLT benches or benches to be constituted in future in different parts of the country in a phased manner with All India transfer liability as per availability of the vacancies/exigencies of work.

3. **Qualifications for Judicial Member:** As per the provisions of Section 409(2) of the Companies Act, 2013, a person shall not be qualified for appointment as Judicial Member unless he/she:-

- (a) is, or has been, a judge of a High Court, or
- (b) is, or has been, a District Judge for at least five years, or
- (c) has, for at least ten years been an advocate of a court.

Explanation - For the purposes of clause (c), in computing the period during which a person has been an advocate of a court, there shall be included any period during which

the person has held judicial office or the office of a member of a tribunal or any post, under the Union or a State, requiring special knowledge of law after he become an advocate.

Qualifications for Technical Member: As per the provision of Section 409 (3) of the Companies Act 2013 as amended by Companies (Amendment) Act, 2017, a person shall not be qualified for appointment as a Technical Member unless he/she-

- (a) has, for at least fifteen years been a member of the Indian Corporate Law Service or Indian Legal Service and has been holding the rank of Secretary or Additional Secretary to the Government of India; or
- (b) is, or has been in practice as a chartered accountant for at least fifteen years; or
- (c) is, or has been, in practice as a cost accountant for at least fifteen years; or
- (d) is, or has been, in practice as a company secretary for at least fifteen years; or
- (e) is a person of proven ability, integrity and standing having special knowledge and professional experience, of not less than fifteen years, in industrial finance, industrial management, industrial reconstruction, investment, accountancy; or
- (f) is, or has been, for at least five years, a presiding officer of a Labour Court, Tribunal or National Tribunal constituted under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947).

4. A person shall not be eligible for appointment as Member unless he/she has completed **the age of 50 (fifty years) [Section 413(2) of Companies Act, 2013]** as on the last date of receipt of application.

5. **Terms of Appointment:** The Member(s) will draw pay in the pay level of 15 as per 7th Central Pay Commission plus allowances as admissible. Pay protection is available for applicants, serving or retired (Government officer or Chairman, Vice-chairman, President, Vice-President, Presiding officer, Member of a Tribunal, Appellate Tribunal or an authority, or a Judge of High Court), who are/were in higher pay scale, including apex scale in Govt. of India. The pay scale and other service conditions would be governed by National Company Law Tribunal (Salaries and Allowances and other terms and conditions of service of the President and other Members) Rules, 2015 as amended by Notification No. G.S.R. 632(E) dated 12.07.2018. A copy of the rules is also available on the website of the Ministry of Corporate Affairs. A person selected, if already in Government Service, may retain his/her lien with his/her parent cadre or Ministry or Department, as the case may be, while holding office as such for a period not exceeding one year.

6. Every Member shall hold office for a period of five years from the date on which he/she enters upon his/her office, but shall be eligible for re-appointment for another term of 5 years. The term of appointment is, however, subject to the maximum age limit of sixty-five years.

7. Selected candidates will be required to produce a medical fitness certificate before joining.


8. Applications of persons working in Court/Government Service/Public Sector Undertaking/other organizations should be forwarded through proper channel within 15 days from the closing date of online application. The forwarding authorities should also certify (in the format given in **Annexure-I** of the online application) that the entries in the application have been verified from the records and found correct, and that no disciplinary/vigilance proceedings are either pending or contemplated against the applicant and that no major/minor penalties have been imposed on the officer during the last ten years. The forwarding authorities should enclose the up-to-date Confidential Report Dossiers of the applicant for the last five years.

9. Only shortlisted candidates shall be called for personal interaction/interview.

10. Interested persons are advised to visit the portal <https://aptrbmembermca.gov.in>, in order to submit online application from 10.00 AM of 29th August, 2019. The detailed instruction for filling up the application form online are available on the portal (under "Instruction for applying online" heading). All requisite and relevant documents need to be uploaded online while filling up of application. Last date for submitting online application is 10th October, 2019 at 05.00 PM.

11. Print out of the applications after final submission on online portal duly completed, and signed alongwith copies of uploaded documents, and through proper channel, wherever applicable, should reach Shri Riazul Haque, Under Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Room No 526, A 'Wing, 5th floor, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 latest by 05:00 PM of 24th October, 2019.

Yours faithfully,


(Riazul Haque)

Under Secretary to the Govt. of India
Tele. No. 23381349

Copy to:

1. All officers at the Headquarters of the Ministry of Corporate Affairs, New Delhi.
2. Technical Director, NIC, MCA with the request to upload the vacancy circular on the portal.
3. Technical Director, NIC, DoPT with the request to upload the vacancy circular on the DoPT's website.
4. E governance Cell, Ministry of Corporate Affairs with the request to upload the vacancy circular on the website of the Ministry.

(Certificate to be furnished by the Employer/Head of office/Forwarding authority)

Certified that the particulars furnished by ----- and application No _____ are correct and he/she possesses educational qualifications and experience mentioned in vacancy circular. It is also certified that:-

- (i) There is no vigilance or disciplinary case pending/contemplated against Sh. /Smt. -----.
- (ii) His/her integrity is certified.
- (iii) His/her CR/APAR dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs/APAR for the last five years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary to the Govt. of India or above, are enclosed.
- (iv) "No major/minor penalty has been imposed on him/her during the last ten years."
- (v) A list of major/minor penalties imposed on him/her last ten years is enclosed.

Signature-----

Name and Designation-----

Tel. No.-----

Office Seal

Place :

Date:

List of enclosures:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(Strike out which is not applicable)